फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकर **विपक्षी : श्री मांगू**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 88/18**

जीसीएमएस : 2018/00315

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.01.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 2, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा फलीचडा पटवार हल्का फलीचडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 22 से 30, 698 से 701 किता 13 कुल रकबा 3.6665 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार, खाता संख्या 307 पर दर्ज आराजी नम्बर 688, 691 किता 2 कुल रकबा 0.2347 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 2 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार एवं खाता संख्या 265 पर दर्ज आराजी नम्बर 702 रकबा 0.4937 हेक्टेयर विपक्षी संख्या 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक भूमि होना बताया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 एवं अन्य सहखातेदार के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होना जाहिर होता हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से हिस्सेनुसार अपने नाम दर्ज कराने हेतु घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का जन्म से हक निहित हैं। भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षी सं. 1 खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थी अपने हिस्से से वंचित हो जायेगे। प्रकरण में दिनांक 09.07.18 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। अतः विपक्षी संख्या 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पक्षांत किया जाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:48 IST
Reason: SelfAttested

उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा फलीचडा पटवार हल्का फलीचडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 264 पर दर्ज आराजी नम्बर 22 से 30, 698 से 701 किता 13 कुल रकबा 3.6665 हेक्टेयर, खाता संख्या 307 पर दर्ज आराजी नम्बर 688, 691 किता 2 कुल रकबा 0.2347 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 265 पर दर्ज आराजी नम्बर 702 रकबा 0.4937 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:59:48 IST
Reason: SelfAttested